रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255357
CG-DL-E-12072024-255357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/आषाढ 21, 1946
No. 358] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2024/ASHADHA 21, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 386(अ).—राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 के अधीन तारीख 31 अक्तूबर, 2019 को जारी उद्घोषणा के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, कार्य संचालन नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, कार्य संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, कार्य संचालन नियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 5 के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2क) किसी प्रस्ताव, जिसके लिए 'पुलिस', 'लोक व्यवस्था', 'अखिल भारतीय सेवा' और 'भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो' के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति उक्त अधिनियम के अधीन उप राज्यपाल के विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है, पर तब तक सहमति नहीं दी जाएगी या अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे मुख्य सचिव के माध्यम से उप राज्यपाल के समक्ष नहीं रखा गया है"।

3. मूल नियमों के नियम 42 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"42क. विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, महाधिवक्ता और न्यायालय कार्यवाहियों में महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उप राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

42ख. अभियोजन की मंजूरी अनुदत्त करने या इंकार करने या अपील फाइल करने के संबंध में किसी प्रस्ताव को विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उप राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा" ।

4. मूल नियमों के नियम 43 के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि कारगार, अभियोजन निदेशालय और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित विषयों के संबंध में मामलों को प्रशासनिक सचिव, गृह विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उप राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह भी कि प्रशासनिक सचिवों की तैनाती और स्थानांतरण तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के संवर्ग पदों से संबंधित विषयों के संबंध में प्रस्ताव प्रशासनिक सचिव, साधारण प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उप राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा" ।

[फा.सं. 11012/27/2020-एसआरए]

प्रशांत लोखंडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 534(अ) तारीख 27 अगस्त, 2020 द्वारा प्रकाशित गए थे तथा पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि.142(अ), तारीख 28 फरवरी, 2024 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, (34 of 2019) read with the Proclamation dated 31st October, 2019 issued under section 73 of the said Act, the President hereby makes the following rules further to amend the Transaction of Business of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir Rules, 2019, namely:—

1. (1) These rules may be called the Transaction of Business of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Transaction of Business of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 5, after sub-rule (2), following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2A) No proposal which requires previous concurrence of the Finance Department with regard to 'Police', 'Public Order', 'All India Service' and 'Anti Corruption Bureau' to exercise the discretion of the Lieutenant Governor under the Act shall be concurred or rejected unless it has been placed before the Lieutenant Governor through the Chief Secretary".

3. In the principal rules, after rule 42, the following rules shall be inserted, namely:—

"42A. Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs shall submit the proposal for appointment of Advocate-General and other Law Officers to assist the Advocate-General in the court proceedings, for approval of the Lieutenant Governor through the Chief Secretary and the Chief Minister.

42B. Any proposal regarding grant or refusal of prosecution sanction or filing of appeal shall be placed before the Lieutenant Governor through the Chief Secretary by the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs".

4. In the principal rules, in rule 43, after the third proviso, following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided also that in respect of matters connected with Prisons, Directorate of Prosecution and Forensic Science Laboratory, the matters shall be submitted to the Lieutenant Governor by Administrative Secretary, Home Department through the Chief Secretary:

Provided also that in respect of matters connected with posting and transfer of Administrative Secretaries and cadre posts of All India Services officers, proposal shall be submitted to the Lieutenant Governor by the Administrative Secretary, General Administration Department through the Chief Secretary".

[F. No. 11012/27/2020-SRA]

PRASHANT LOKHANDE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.534 (E), dated the 27th August, 2020 and subsequently amended *vide* number G.S.R.142 (E), dated the 28th February, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.12 14:22:46 +05'30'